भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 2444

मंगलवार, 10 दिसम्बर, 2019/19 अग्रहायण, 1941 (शक)

पदोन्नति में आगामी वेतन वृद्धि की तारीख का निर्धारण

2444. श्री नीरज शेखर:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या 4-21/2017-आईसी/ई(अ), दिनांकित 31.07.2018 के अनुसार ही दिनांक 2 जनवरी से 30 जून (दोनों तारीखों सहित) के बीच पदोन्नत किए गए कर्मचारियों के वेतन निर्धारण एवं आगामी वेतन वृद्धि की तिथि का निर्धारण किया जाएगा; और

(ख) यदि कोई कर्मचारी, जिसे 2 जनवरी से 30 जून (दोनों तारीखों सहित) के बीच पदोन्नत किया गया है और वह वेतन निर्धारण के लिए आगामी वेतन वृद्धि की तारीख अर्थात् दिनांक 1 जुलाई का चयन करता है तो क्या उसको पदोन्नति के पश्चात् अर्जित पदनाम के संबंध में आगामी वेतन वृद्धि की तारीख 1 जनवरी से मानी जाएगी अथवा 1 जुलाई से मानी जाएगी; तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) जी, नहीं।

(ख) 2 जनवरी और 30 जून (दोनों तारीखों सहित) के बीच पदोन्नत कोई कर्मचारी यदि अगली वेतन वृद्धि की तारीख अर्थात् 1 जुलाई से वेतन निर्धारण का विकल्प देता है, तो उस लेवल में जिस पर उसे पदोन्नत किया गया है, पहली वेतन वृद्धि आगामी 1 जनवरी को मिलेगी।

व्यय विभाग के दिनांक 28.11.2019 के का.ज्ञा. सं. 4-21/2017-आईसी/ई.III(ए) के अनुसार, यदि कोई कर्मचारी वार्षिक वेतन वृद्धि की तारीख से भिन्न किसी तारीख को पदोन्नत होता है और वह एफआर 22(I)(क)(1) के तहत निचले ग्रेड के वेतनमान में अगली वेतन वृद्धि के देय होने की तारीख से वेतन के निर्धारण का विकल्प देता है, तो उसे 1 जुलाई/1 जनवरी (अर्थात् निचले ग्रेड में वेतन वृद्धि की तारीख) को ऐसे निर्धारण के पश्चात् 6 माह की अर्हक सेवा पूरी होने पर 1 जनवरी/1 जुलाई, जैसी भी स्थिति हो, को पदोन्नत ग्रेड में पहली वेतन वृद्धि दी जाएगी।

******